



Phone :- 0612-2219819
Fax :- 0612-2232377
E-mail :- biscomaun@gmail.co
info@biscomaun.co.it

बिहार राज्य सहयोग क्रय-विक्रय संघ सीमित
(बिस्कोमान)

बिहार एव झारखण्ड
छठा तल, बिस्कोमान टॉवर, पश्चिमी गोंधो मैदान, पटना-800001

Ref. No. 83-223/एग-746

Date:- 01/10/2024

सेवा में,

.....
.....
.....
..... |

विषय — समिति की सत्यापित उप-विधि की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

अनुरोध के साथ कहना है कि आपकी समिति द्वारा बिस्कोमान का एक सौ शेयर या उससे अधिक अर्थात् ₹1,00,000.00 (एक लाख रुपये) या उससे अधिक की हिस्सा पूँजी धारित की गई है। बिस्कोमान की उप-विधि की कंडिका-20 (iv) का दूसरा परन्तुक के अनुसार एक सौ शेयर (₹1,00,000.00) धारक समिति को बिस्कोमान के सामान्य निकाय में सीधे प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान है, परन्तु समिति का कार्य क्षेत्र जिला या जिला स्तर से उपर अर्थात् प्रमंडल/राज्य स्तर का होना चाहिए। स्पष्टतः समिति का कार्य क्षेत्र जिला या जिला स्तर से उपर अर्थात् प्रमंडल या राज्य स्तर का नहीं होने की स्थिति में समिति के प्रतिनिधि को सामान्य निकाय में सीधे प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होगा। बिस्कोमान की उप-विधि 20 (iv) का प्रावधान निम्नवत है।

(iv) "From the representatives of the 'A' Class share holders in each district shall elect from among themselves delegates to the General Body of the Union at the rate of one for every three 'A' Class share holders or part thereof, subject to a maximum of seven per district.

Provided that, representation on the General Body of BISCOMAUN shall be governed by the provisions of Section 38 (3) of the MSCS Act. Further, out of the delegates elected from 'A' Class share holders of a district at least one shall be from schedule caste or schedule tribe, if representative of that category is available from the 'A' Class members of the district.

Provided further that Societies which belongs to Category "A", either registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 or registered under the Bihar Self Supporting Co-operative Societies Act, 1996 having area of operation for a District or Division or State level shall be entitled to send representatives directly in general body meeting if they holds a minimum of hundred shares of the BISCOMAUN".

अतः उक्त के संदर्भ में आपकी समिति के उप-विधि की आवश्यकता है। अतः दिनांक 15.10.2024 तक अपने समिति की निबंधित उप-विधि जिलान्तर्गत जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति किसी कार्य दिवस में बिस्कोमान मुख्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेशानुसार

प्रबंध निदेशक